

मुकदमों का विवरण

परशुराम बनाम.

एम. पी. का राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 524) के साथ

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 3416) नवंबर 03, 2023

[बी. आर. गवई, बी. वी. नागरत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या निचली अदालतों को अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में न्यायसंगत ठहराया गया था या नहीं, यह दंडनीय यू/एस है।

302/149, s.326/149, s.324/149, s.323/149, s.147 और s.148 भारतीय दंड संहिता .

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 304 भाग II,

302/149, 326/149, 324/149, 323/149, 147 और 148-हत्या-गैरकानूनी सभा-अभियुक्त व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया जब शिकायतकर्ता पक्ष के प्रेमी ने अभियुक्त द्वारा बनाए गए टपारिया को खराब कर दिया, और उसके बाद शिकायतकर्ता और उसके सदस्यों पर घातक हथियारों से गंभीर हमला किया, जिसमें उनमें से एक की मौत हो गई-दोषसिद्धि और अपीलार्थियों को सजा दंडनीय यू/एस। 302/149, 326/149, 324/149, 323/149, 147 और नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा 148-की स्वीकार्यता:

आयोजित किया गया: अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के देहाती ग्रामीण होने के साक्ष्य में विसंगतियां घातक नहीं हैं-उनका सबूत है कि अपीलकर्ता गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, हालांकि मृतक पर हमला करने के लिए उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है-यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्ति ने, दोषी ठहराए जाने के लिए, वास्तव में मृतक पर हमला किया होगा-निचली अदालत का अवलोकन कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा आरोपी व्यक्तियों पर हमला करने में किसी भी घातक हथियार का उपयोग नहीं किया गया था, जबकि आरोपी ने घातक हथियारों का उपयोग किया था, सही नहीं था क्योंकि एक आरोपी को धारदार हथियार से चोटें लगी थीं-इसके अलावा, गवाह इच्छुक गवाह हैं-187 का गैर-स्पष्टीकरण

परशुराम बनाम स्टेट ऑफ एमपी

अभियुक्त के व्यक्तियों पर चोट लगने से संदेह पैदा होता है, अभियोजन पक्ष के मामले में-मोरेसो, शिकायतनिशुल्क ्रता पक्ष के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किया गया था-अभियुक्त द्वारा

बचाव कि शिकायतनिशुल्क ३ता पक्ष ने उन पर हमला निशुल्क ना शुरू निशुल्क दिया जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के व्यक्तियों को चोटें आईं और शिकायतनिशुल्क ३ता पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई-पूरी घटना पिछले दिन हुई-आरोपी द्वारा बनाए गए टपारिया को खराब निशुल्क ना-इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं कि क्या गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य मृतक की मृत्यु का कारण बनना था-अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित निशुल्क ने में विफल रहा कि गैरकानूनी सभा का इरादा मृतक की मृत्यु का कारण बनना था-अपीलनिशुल्क ३ता संदेह के लाभ का हकदार थे-इस प्रकार, दोषसिद्धि यू/एस। 302 पोषणीय नहीं है और एस के अंतर्गत एक में परिवर्तित है।304 भाग-II-अपीलार्थियों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा।[पैरा 15,19,20,23-27]

दंड संहिता, **1860** -धारा. **149**-गैरकानूनी सभा-धाराओं का दायरा और परिधि।**149** :

आयोजित किया गया:गैरकानूनी सभा का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एस की सहायता से उसे दोषी ठहराने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं है।149 – अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि एक व्यक्ति को विधानसभा का गठन करने वाले व्यक्तियों में से एक होना चाहिए और उसने विधानसभा के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्य को पूरा किया था, जैसा कि यू/एस की अवहेलना है।141 – जो कोई भी ऐसे तथ्यों से अवगत है जो किसी भी सभा को गैरकानूनी सभा बनाते हैं, जानबूझकर उस सभा में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, उसे गैरकानूनी सभा का सदस्य कहा जाता है।[पैरा 14]

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

नंद लाल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 262; मसाला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। [1964] 8 एस. सी. आर. 133; लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 394; राजस्थान राज्य बनाम माधो और एक अन्य 1991 पूरक (2) एस. सी. सी. 396; एम. पी. राज्य। वी.मिश्रीलाल (मृत) और अन्य (2003) 9 एस. सी. सी. 426; नागरथिनम और अन्य बनाम राज्य

पुलिस (2006) 9 एस. सी. सी. 57-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता :2021 की आपराधिक अपील No.524।

188

/

[2023] 14 एस सी आर।

2005 के सी. आर. एल. ए. No.243 में ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.03.2018 के निर्णय और आदेश से।

सह

2023 की आपराधिक अपील No.3416।

रूप:

ए. सिराजुद्दीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, ऋषि मल्होत्रा, सुश्री एन. अन्नपूर्णा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

धीरेंद्र सिंह परमार, ए. ए. जी., अभिमन्यु सिंह, यशराज सिंह बुंदेला, सुशील तोमर, पवन, सुश्री ज्योति वर्मा, भगवानजी ठाकुर, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

बी. आर. गवई, जे.

1. 2022 की एस. एल. पी. (आपराधिक) संख्या 1718 से उत्पन्न अपील में अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें 14 मार्च 2018 को ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 2005 की 243 और 260 में पारित किए गए सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने सत्र परीक्षण संख्या 09/2002 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) द्वारा पारित 30 मार्च 2005 के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "भारतीय दंड संहिता सी". के रूप में संदर्भित) की धारा 149 के साथ पठनीय धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय है।

189

परशुराम बनाम स्टेट ऑफ़ एमपी [बी. आर. गवई, जे.] 190

3. विवरणों से अलग, वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं: 3.1 यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी जलिम सिंह ने गाँव के मार्ग पर एक शेड (टपारिया) का निर्माण किया था जिसका उपयोग मवेशियों द्वारा किया जाता है। चूंकि शिकायतकर्ता पक्ष से संबंधित एक भैंस ने उक्त शेड (टपारिया) को क्षतिग्रस्त कर दिया था, इसलिए अपीलार्थी जलिम सिंह ने उस भैंस को लाठी से पीटा था और उस भैंस को भगा दिया था। इसके बाद, अपीलार्थी जलिम सिंह, राम सेवक @सेवक, राम लखन @लखन, रामरूप @रूपा, राम सहाय, परशुराम (2021 की आपराधिक अपील संख्या 524 में अपीलार्थी) और मंगल सिंह चिरोंजी (पीडब्लू-6) के घर आए। यह देखकर चिरोंजी (पीडब्लू-6) डर के मारे घर से भाग गया। इसके बाद आरोपी व्यक्ति दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस गए। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने मदन, लीलाबाई और कैलाश को

पकड़ लिया और पीटा। इसके बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए। जब चिरोंजी (पीडब्लू-6) अपने घर वापस आए तो उन्हें घटना की जानकारी दी गई।

3.2 अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 6 अक्टूबर 2001 को सुबह जब शिकायतकर्ता पक्ष से चिरोंजी (पीडब्लू-6), मदन (मृतक), रघुवीर, पातिराम (पीडब्लू-13), लीलाबाई (मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्राकृतिक मृत्यु हो गई), रामहेट (पीडब्लू-12), ज्ञानी (पीडब्लू-14) और कैलाश (पीडब्लू-15) शिकायत दर्ज कराने के लिए ट्रैक्टर पर पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तो बारची, तलवार, भाला, लाठी और देसी बम (हथगोला) जैसे घातक हथियारों से लैस अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें घायल करने के लिए रास्ता रोक दिया। 3.3 पीड़ितों को रोकने के बाद, राम लखन, जो एक बरची ले जा रहा था, ने मदन की छाती के बाईं ओर चाकू मार दिया, जिसके परिणामस्वरूप मदन बेहोश हो गया; इसके बाद, राम सेवक उर्फ सेवक, जो एक गुप्ती ले जा रहा था, ने शिकायतकर्ता को उसके धड़ (बखा) के दाईं ओर चोट पहुँचाई, और उसके सिर पर एक और प्रहार किया; और उसके बाद, रामरूप उर्फ रूपा, जो तलवार ले जा रहा था, ने शिकायतकर्ता के कंधे पर चोट पहुँचाई। अपीलार्थियों सहित अन्य अभियुक्त व्यक्ति, जो घातक हथियारों से लैस थे, गंभीर रूप से घायल हो गए।

3.4 मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, "एफ. आई. आर.") भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307, 323, 452, 147, 148 और 149 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। हालाँकि, मदन की मृत्यु पर, उसे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया।

/

[2023] 14 एस सी आर।

3.5 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जाँच पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस की न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया। चूंकि यह मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए यह मामला 10 जनवरी 2002 को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी की अदालत को सौंपा गया था।

3.6 निचली विचारण न्यायालय के समक्ष, अभियुक्त व्यक्तियों (कुल नौ) ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें भूमि विवाद के कारण गलत तरीके से फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने दो गवाहों से पूछताछ की और अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष के 21 गवाहों में से चिरोंजी (पीडब्लू-6), रामहेट (पीडब्लू-12), परतिराम (पीडब्लू-13), ग्यानी (पीडब्लू-14) और कैलाश (पीडब्लू-15) घायल चश्मदीद गवाह थे। 3.7 इसके बाद निचली विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में अपने विचार के लिए अन्य मुद्दे विरचित किए। निचली विचारण न्यायालय ने 30 मार्च 2005 के निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों

से साबित होता है कि आरोपी व्यक्ति परशुराम, राम सहाय, मंगल सिंह, राम लखन, रामरूप उर्फ रूपा, राम सेवक उर्फ सेवक और जलिम सिंह ने घटना की तारीख को एक गैरकानूनी सभा का गठन किया और उसके बाद उन्होंने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर गंभीर हमला किया, जिससे घातक हथियारों का उपयोग करके उनके गैरकानूनी सभा के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए उनमें से एक की हत्या कर दी गई। नामित सात अभियुक्तों को धारा 149 के साथ पठित धारा 242, धारा 149 के साथ पठित धारा 326, धारा 149 के साथ पठित धारा 324, धारा 149 के साथ पठित धारा 323, धारा 147 और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148 के अंतर्गत आरोपों का दोषी ठहराया गया और शेष दो अभियुक्तों, दीवान सिंह और सियाराम को आरोपों से बरी कर दिया गया।

3.8 नतीजतन, निचली विचारण न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई। अभियुक्तों को दी गई सभी सजाएँ एक साथ चलनी थीं। 3.9 निचली विचारण न्यायालय के निर्णय से आहत आरोपी व्यक्तियों (परशुराम और अन्य) ने 2005 की आपराधिक अपील संख्या 243 को प्राथमिकता दी और आरोपी जलिम सिंह ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की आपराधिक अपील संख्या 260 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने 14 मार्च 2018 के सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से दोनों आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया और निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपीलों का नेतृत्व अभियुक्त परशुराम और जलिम सिंह कर रहे हैं।

191

परशुराम बनाम स्टेट ऑफ़ एमपी [बी. आर. गवई, जे.] 192

4. हमने श्री ऋषि मल्होत्रा, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील-2021 की आपराधिक अपील संख्या 524 में परशुराम, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ए. सिराजुद्दीन-एसएलपी (सीआरएल) से उत्पन्न अपील में जलिम सिंह को सुना है। 2022 का सं. 1718 और प्रत्यर्थी-मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अभिमन्यु सिंह।

5. श्री मल्होत्रा ने कहा कि उच्च न्यायालय और निचली विचारण न्यायालय दोनों ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में घोर गलती की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष इसमें अपीलार्थियों को किसी भी विशिष्ट भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराने में विफल रहा है। उसी के अभाव में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज की गई दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपीलार्थी परशुराम की भूमिका केवल लाठी पकड़ने की थी और इस प्रकार, किसी भी चोट के कारण मृतक की मृत्यु नहीं हुई थी, अपीलार्थी परशुराम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि दो अभियुक्त व्यक्तियों, जिन्हें हाथ-बम पकड़ने की भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, को निचली विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया। इस प्रकार, वर्तमान अपीलार्थियों की दोषसिद्धि पोषणीय नहीं थी।

6. श्री मल्होत्रा ने कहा कि कई अभियुक्तों को चोटें आई हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा इन चोटों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उसी घटना से उत्पन्न शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ आरोपी व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी समय से पहले की गई थी। विद्वान वकील, इस न्यायालय के हाल के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए

नंद लाल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **1** के मामले में कहा गया कि गैर -

चोटों का स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है और अपीलार्थी ऐसी चोटों का स्पष्टीकरण न देने के आधार पर बरी होने के हकदार हैं। 7. श्री सिराजुद्दीन, एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न अपील में अपीलार्थी-जलिम सिंह के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील। 2022 का सं. 1718 भी उसी तर्ज पर तर्क देता है।

8. इसके विपरीत, श्री सिंह ने कहा कि निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने समवर्ती रूप से पाया है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि अपीलकर्ता गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे, इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए इसके लिए जिम्मेदार ठहराना आवश्यक नहीं था

1 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 262

/

[2023] 14 एस सी आर।

उनमें से प्रत्येक के लिए एक विशिष्ट भूमिका। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गैरकानूनी सभा का उद्देश्य शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों को मारना था और इस तरह, निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि के समापन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि मृतक को लगी चोटें घातक हथियारों से हुए महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं।

9. पक्षों के विद्वान वकील की सहायता से, हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

10. चिरोंजी (पीडब्लू-6) प्रथम सूचना देने वाला है। उन्होंने उस घटना के बारे में बताया है जो वर्तमान घटना के एक दिन पहले हुई थी। उन्होंने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा मदन, लीला (लीलाबाई) और कमलेश (कैलाश) पर हमला करने के बाद, जब वे शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तो मंगल, रूपा, सेवक, राम सहाय, परशुराम, लखन, जलिम, दीवान और सिया और 4-5 अन्य व्यक्तियों ने उन्हें रोक दिया। उन सभी ने अपना ट्रैक्टर रोका और फिर बम फेंके। उन्होंने आगे कहा कि सेवक ने गुप्ती को छाती पर पीटा और गुप्ती के सिर पर भी मारा। उन्होंने कहा कि रूपा ने उनके कंधे पर तलवार से वार किया। उन्होंने कहा कि मदन की छाती में लखन ने बरची से वार किया था, जिससे वह बेहोश

हो गया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद वे पुलिस स्टेशन गए। मदन की मृत्यु सुबह 10.00 पर हुई। रामहेट (पीडब्लू-12) द्वारा उनके साक्ष्य की पुष्टि की गई है।

11. डॉ. एस. के. मजीजी (पीडब्लू-4) ने मृतक का शव परीक्षण किया है। मृतक को लगी चोटें इस प्रकार हैं:

“चोट सं। 1: बायीं ओर छाती में फेफड़े के गहरे घाव में गहरा पंचर। इस चोट के कारण मृतक की त्वचा और मांसपेशियां और बाएं फेफड़े अलग हो गए थे। फटे फेफड़े का आकार 1 "x 2" x 2 " था।

चोट नं. 2: पीठ के बीच में 4 "एक्स एल" घाव छील दिया गया; और चोट नहीं। 3: बाएं हाथ पर ½ "एक्स एल/2" घाव छील दिया गया। "

12. अपीलार्थियों की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि चिरोंजी (पीडब्लू-6) और रामहेट (पीडब्लू-12) की गवाही विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि उनके साक्ष्य में भौतिक विरोधाभास हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चिरोंजी (पीडब्लू-6) और 193 के साक्ष्य में कुछ विसंगतियां हैं।

परशुराम बनाम स्टेट ऑफ़ एमपी [बी. आर. गवई, जे.] 194

रामहेट (पीडब्लू-12)। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गवाह देहाती ग्रामीण हैं और उनसे एक-दूसरे के समान संक्षिप्त विवरण देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

13. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 304 के अंतर्गत दोषसिद्धि के संबंध में विधि पर एक संविधान पीठ द्वारा संक्षिप्त रूप से चर्चा की गई है।

इस न्यायालय के मसाल्ती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2 के लोकस क्लासिक्स में, जिसमें यह न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: “17. जिस व्यक्ति पर गैरकानूनी सभा का सदस्य होने का आरोप है, उसके खिलाफ यह साबित करना होगा कि वह सभा का गठन करने वाले व्यक्तियों में से एक था और उसने विधानसभा के अन्य सदस्यों के साथ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 141 द्वारा निर्धारित सामान्य उद्देश्य को स्वीकार किया। धारा 142 में प्रावधान है कि जो कोई भी किसी भी सभा को गैरकानूनी सभा बनाने वाले तथ्यों से अवगत है, वह जानबूझकर उस सभा में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, उसे गैरकानूनी सभा का सदस्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, धारा 141 के खंडों द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य वस्तुओं द्वारा संचालित और उनका मनोरंजन करने वाले पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा एक गैरकानूनी सभा है। ऐसे मामले में यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सभा में पांच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 द्वारा निर्दिष्ट सामान्य उद्देश्यों में से एक या अधिक का मनोरंजन किया था। इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह विचार करना प्रासंगिक हो जाता है कि क्या सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो केवल निष्क्रिय गवाह थे और सभा के सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखे बिना

बेकार जिज्ञासा के रूप में सभा में शामिल हुए थे। यह उस संदर्भ में है कि बलादीन [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 181] के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को सार्थक माना जाता है; अन्यथा, विधि में, यह कहना सही नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को गैरविधि की सभा का सदस्य माने जाने से पहले, यह दिखाया जाना चाहिए कि उसने कुछ अवैध कार्य किया था या सभा के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कुछ अवैध चूक का दोषी था। वास्तव में, धारा 149 यह स्पष्ट करती है कि यदि उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किसी गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है, या जैसे कि उस सभा के सदस्य जानते थे

2 [1964] 8 एससीआर 133

/

[2023] 14 एस सी आर।

उस उद्देश्य के अभियोजन में प्रतिबद्ध होने की संभावना है, प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध को करने के समय, उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है और यह इस सिद्धांत को दृढ़ता से सामने लाता है कि धारा 149 द्वारा निर्धारित दंड एक अर्थ में प्रत्यावर्ती है और हमेशा इस आधार पर आगे नहीं बढ़ता है कि अपराध वास्तव में गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा किया गया है।

14. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी सभा का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 149 की सहायता से उसे दोषी ठहराने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा जो स्थापित किया जाना है वह यह है कि एक व्यक्ति को एक गैरकानूनी सभा का सदस्य होना चाहिए, अर्थात् वह सभा का गठन करने वाले व्यक्तियों में से एक होना चाहिए और उसने विधानसभा के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्य को पूरा किया था, जैसा कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 141 के अंतर्गत किया गया है। जैसा कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 142 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जो कोई भी किसी भी सभा को गैरकानूनी सभा बनाने वाले तथ्यों से अवगत है, जानबूझकर उस सभा में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, उसे गैरकानूनी सभा का सदस्य कहा जाता है। 15. निर्विवाद रूप से, चिरोंजी (पीडब्लू-6) और रामहेट (पीडब्लू-12) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलार्थी गैरकानूनी सभा के सदस्य थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक मदन पर हमला करने के वर्तमान अपीलार्थियों की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। हालाँकि, चूंकि अपीलकर्ता गैरविधि की सभा के सदस्य थे, इसलिए मसाला (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को देखते हुए, यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्ति ने दोषी ठहराए जाने के लिए वास्तव में मृतक पर हमला किया होगा।

16. यह अभिनिर्धारित करने के बाद, जिस प्रश्न का उत्तर हमें देना है, वह यह है कि क्या भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि मान्य होगी या नहीं। 17. अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा लिया गया बचाव यह था कि वास्तव में अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा किए गए हमले के संबंध में पहली बार शिकायत दर्ज कराई थी। यह उनका बचाव है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद, जब वे पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे थे, तो शिकायतकर्ता पक्ष एक ट्रैक्टर पर आया था और आरोपी व्यक्तियों पर हमला किया था। यह उनका तर्क है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने खुद को बचाने की कोशिश की। जिसके परिणामस्वरूप, दोनों पक्षों के सदस्यों को चोटें आईं और दुर्भाग्य निशुल्क मृतक मदन ने दम तोड़ दिया।

195

परशुराम बनाम स्टेट ऑफ़ एमपी [बी. आर. गवई, जे.] 196

18. यह ध्यान देने योग्य है कि बचाव पक्ष ने दो गवाहों से भी पूछताछ की है। राम कृष्ण पांडे (डी. डब्ल्यू.-1) पुलिस कांस्टेबल है जिसने एक आरोपी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी दर्ज की थी। डॉ. निसार अहमद (डी. डब्ल्यू.-2), चिकित्सा अधिकारी, शिवपुरी, जिन्होंने आरोपी राम सेवक @सेवक, राम लखन और रामरूप @रूपा को लगी चोटों के बारे में गवाही दी है। अभियुक्त राम सेवक @सेवक को जो चोटें लगी हैं, वे इस प्रकार हैं: (i) माथे के सामने की गहरी हड्डी पर 7 सेमी x 1 सेमी घाव;

((ii) टूटा हुआ घाव सिर के पीछे और दाईं ओर 3 से. मी. x 1 से. मी. गहरा था।

((iii) कटा हुआ घाव 4 से. मी. x 2 से. मी. बाएं कंधे पर पीछे की ओर मांसपेशियों की गहराई तक था;

((iv) बाएं अग्र-भुजा के बाहरी और ऊपरी भाग पर 1 X 1 सेमी/2 X 1 सेमी/2 सेमी घाव;

((v) कटा हुआ घाव 1 X 1 सेमी/2 X 1 सेमी बाएं अंगूठे पर स्थित था; ((vi) ऊपरी बाएं अग्र-भुजा में सूजन का उपयोग करें;

((viii) दाएँ मध्य मलियस की सूजन और दबाव में दर्द; ((viii) दाएँ जांघ में सूजन का उपयोग करें;

अभियुक्त राम लखन को जो चोटें लगी हैं, वे इस प्रकार हैं:

((i) बाएँ पैर के पिछले हिस्से में कंडरा पर सूजन का उपयोग करें। अभियुक्त रामरूप @रूपा को जो चोटें लगी हैं, वे इस प्रकार हैं:

((i) सिर के दाहिने पार्श्व क्षेत्र में गहरी 6 X 1 सेमी अंधी त्वचा के घाव में दरार;

((ii) दाहिने अग्र-भुजा के निचले हिस्से में सूजन और विकृति; ((iii) बाएं स्कैपुला के ऊपरी हिस्से में दबाव पर सूजन और दर्द; ((iv) दाएं घुटने के ऊपर सूजन का उपयोग करें।

19. हालाँकि निचली विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 323, 341, 294, 147, 148 और 149 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किए जाने के तथ्य का उल्लेख किया है, लेकिन निचली विचारण न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा किसी भी घातक हथियार का उपयोग नहीं किया गया था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

अभियुक्त व्यक्ति। हालाँकि, इसके विपरीत, अभियुक्त व्यक्तियों ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया था।

20. हम निचली विचारण न्यायालय के उक्त अवलोकन को सही नहीं समझते हैं। रामरूप @रूपा को एक धारदार हथियार से चोटें आई हैं। लक्ष्मी के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना तुच्छ होगा।

सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य **3:**

“12. हमें ऐसा लगता है कि एक हत्या के मामले में, घटना के समय या विवाद के दौरान आरोपी को लगी चोटों का विवरण न देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिससे न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकती है:

“(1) कि अभियोजन पक्ष ने उत्पत्ति और घटना की उत्पत्ति को दबा दिया है और इस प्रकार सही संस्करण प्रस्तुत नहीं किया है; (2) जिन गवाहों ने अभियुक्त व्यक्ति पर चोटों की उपस्थिति से इनकार किया है, वे सबसे भौतिक बिंदु पर झूठ बोल रहे हैं और इसलिए उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है;

(3) कि यदि कोई बचाव पक्ष का संस्करण है जो अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करता है तो इसे संभावित रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह किया जा सके। ”

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करने में चूक बहुत अधिक महत्व रखती है जहां साक्ष्य में इच्छुक या शत्रुतापूर्ण गवाह होते हैं या जहां बचाव पक्ष एक ऐसा संस्करण देता है जो अभियोजन पक्ष के साथ संभावना में प्रतिस्पर्धा करता है। तत्काल मामले में, जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी दशरथ सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो न्यायालय के लिए पीडब्लू 1 से 4 और 6 के साक्ष्य पर भरोसा करना मुश्किल होगा, विशेष रूप से, जब इनमें से कुछ गवाहों ने यह कहते हुए झूठ बोला है कि उन्होंने आरोपी के व्यक्ति पर कोई चोट नहीं देखी है। इस प्रकार न तो सत्र न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय ने अभियोजन मामले में उपस्थित होने वाली इस महत्वपूर्ण कमी या असंवेदनशीलता पर उचित विचार

किया है। हमें यह जोड़ने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए कि जैसा कि इस द्वारा आयोजित किया गया है

3 (1976) 4 एससीसी 394 197

परशुराम बनाम स्टेट ऑफ़ एमपी [बी. आर. गवई, जे.] 198

गुजरात राज्य न्यायालय बाई फातिमा [(1975) 2 एस. सी. सी. 7:1975 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 384] ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का स्पष्टीकरण न दिया जाना अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से उन मामलों में लागू होगा जहां अभियुक्त को मामूली और अत्यधिक चोटें लगी हैं या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस है, इतना स्वतंत्र और उदासीन है, इतना संभावित, सुसंगत और विश्वसनीय है, कि यह चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से चूक के प्रभाव से कहीं अधिक है। हालाँकि, वर्तमान निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है, और इसलिए, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले में इस गंभीर असंवेदनशीलता को अविश्वसनीय परिसरों में दरकिनार कर दिया। "21. चोटों का स्पष्टीकरण न दिए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम माधो और अन्य मामलों में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

अन्य **4**, एम. पी. बनाम राज्यामिश्रीलाल (मृत) और अन्य **5**, नागरथिनम और अन्य बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व **6** और हाल ही में नंद लाल (उपरोक्त) के मामले में।

22. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में भी, गवाह इच्छुक गवाह हैं। तीन अभियुक्त व्यक्तियों को लगी चोटों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया है।

23. अभियुक्त के व्यक्तियों पर चोटों का विवरण न देने से यह संदेह पैदा होगा कि अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दर्ज किया है या नहीं। निर्विवाद रूप से, जैसा कि ऊपर देखा गया है, शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ आरोपी व्यक्तियों को लगी चोटों के लिए एक क्रॉस मामला भी दर्ज किया गया था।

24. अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा लिया गया बचाव यह है कि जब वे पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे थे, तो यह शिकायतकर्ता पक्ष था जिसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक निशुल्क मामला दर्ज किया गया। उन निशुल्क आगे निशुल्क मामला यह है कि उक्त मामले में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आईं। उक्त निशुल्क समारोह में लगी चोट के परिणामस्वरूप मदन की मृत्यु हो गई।

4 1991 पूरक (2) एस. सी. सी. 396 5 (2003) 9 एस. सी. सी. 426 6 (2006) 9 एस. सी. सी. 57

[2023] 14 एस सी आर।

25. अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह भी स्पष्ट नहीं है कि गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य मृतक की मृत्यु का कारण बनना था या नहीं। यह पूरी घटना वर्तमान घटना के घटित होने के एक दिन पहले की घटना के कारण उत्पन्न हुई, अर्थात् शिकायतकर्ता पक्ष का प्रेमी आरोपी जलिम सिंह द्वारा बनाए गए टपारिया को खराब कर रहा था। यह बहुत संभव है कि अभियुक्त व्यक्तियों का इरादा शिकायतकर्ता पक्ष के किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनने का नहीं था। यह संभव है कि अभियुक्त व्यक्ति केवल शिकायतकर्ता पक्ष को सबक सिखाने के लिए एकत्र हुए क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों ने आरोपी जलिम सिंह के टपारिया को नुकसान पहुंचाया था।

26. इसलिए हमारा विचार है कि अपीलार्थी संदेह का लाभ उठाने के हकदार हैं। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि पोषणीय नहीं होगी। अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि गैरकानूनी सभा का इरादा मृतक की मौत का कारण बनना था। इस प्रकार, हम मानते हैं कि मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 के भाग-2 के अंतर्गत आएगा।

27. परिणामस्वरूप, अपीलों का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:

(i) भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 के भाग-2 में बदल दिया गया है;

((ii) अपीलार्थियों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।

28. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन